भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Office of the Development Commissioner
SEEPZ Special Economic Zone
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

F. No.: SEEPZ-SEZ/ADMIN/460/2015-16/Vol-X/ 11243 25.11.2026

रिक्ति परिपत्र

सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र, मुंबई के विकास आयुक्त कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर निम्नलिखित पदों को भरने हेतु इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण एवं पात्रता संबंधी शर्तें निम्नानुसार हैं:-

क्र.	पद का नाम एवं वेतनमान	पदों की संख्या	पात्रता संबंधी शर्तें
1.	अधीक्षक (रु. 9300-34800/-) ग्रेड पे रु. 4800/-, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-8 के समतुल्य है।	01 (एक)	(*) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारी :- a. मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण कर रहे हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में रु. 6500-200-10500 (पूर्व-संशोधित) (वेतन बैंड रु. 9300-34800 एवं ग्रेड पे रु. 4600) या समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण की हो; तथा b. उत्पाद शुल्क अथवा सीमा शुल्क की प्रक्रियात्मक कार्यप्रणाली में दो वर्ष का अनुभव रखते हों।
2.	निवारक अधिकारी (रु. 9300-34800/-) ग्रेड पे रु. 4600/-, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 के समतुल्य है।	05 (पाँच)	(*) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधिकारी :- a. (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण कर रहे हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में रु. 4500-7000 (पूर्व-संशोधित) (वेतन बैंड रु. 5200-20200 एवं ग्रेड पे रु. 2800) या समकक्ष वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में

			छह वर्ष की सेवा पूर्ण की हो; तथा b. उत्पाद शुल्क अथवा सीमा शुल्क की प्रक्रियात्मक कार्यप्रणाली में दो वर्ष का अनुभव रखते हों।

(*) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिनांक 24.10.2017 के आईडी नोट संख्या 1268489/2017-Estt. (Pay-II) के माध्यम से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, MACP/गैर-कार्यात्मक उन्नयन (NFU) अथवा गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड (NFSG) के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन के कारण उच्च वेतनमान/ग्रेड पे प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने मूल संवर्ग में अपने मूल पद के वेतनमान/ग्रेड के समकक्ष निम्न वेतनमान/ग्रेड पे वाले संवर्गेतर पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते के संबंध में इस विभाग द्वारा प्रस्तावित दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि मूल संवर्ग में मूल वेतन को गैर-कार्यात्मक उन्नयन (NFU), MACP, NFSG आदि के कारण उन्नत किया गया है, तो ऐसे उन्नयन के अंतर्गत प्राप्त उन्नत मूल वेतन को प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते की गणना के प्रयोजन हेतु ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

तदनुसार, मूल विभाग में लेवल-9 (9300-34800 + ग्रेड पे रु. 5400/-) के वेतनमान में गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी भी उपर्युक्त क्रम संख्या 01 के पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि उनका चयन होता है, तो प्रतिनियुक्ति के आधार पर वेतन का निर्धारण उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार किया जाएगा।

इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी अथवा किसी अन्य संगठन/केंद्र सरकार के विभाग में धारित किसी अन्य संवर्गेतर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की कुल अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 03 (तीन) वर्ष होगी।

3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिनियुक्ति संबंधी नियम, विनियम एवं प्रावधान लागू होंगे। DoPT के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-Estt. (Pay-II), दिनांक 17.06.2010 के प्रावधानों के अनुसार, उच्च ग्रेड पे/वेतनमान में कार्यरत कोई भी सरकारी अधिकारी निम्न ग्रेड पे/वेतनमान वाले पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

4. चयनित अधिकारियों को भारत सरकार के वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार स्थानांतरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहण करने हेतु समय की पात्रता होगी।

5. पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों, जिन्हें चयन होने की स्थिति में कार्यमुक्त किया जा सकता है, के निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-I) में आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों सहित उचित माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं:-

a) उपर्युक्त क्रम संख्या 01 एवं 02 के पदों के लिए पिछले पाँच वर्षों की एपीएआर की प्रतियां, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित होना अनिवार्य है।

तथा उपर्युक्त क्रम संख्या 03 एवं 04 के पदों के लिए पिछले पाँच वर्षों की एपीएआर की प्रतियां वांछनीय हैं। यदि पिछले पाँच वर्षों की एपीएआर उपलब्ध नहीं हैं, तो पिछले दो वर्षों की एपीएआर की प्रतियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित होना अनिवार्य है।

b) परीक्षक/सीजीएसटी निरीक्षक संवर्ग के अधिकारी भी उपर्युक्त क्रम संख्या 03 के पद हेतु पात्र हैं तथा

आवेदन कर सकते हैं।

c) सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

d) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र।

e) पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाए गए दंड, यदि कोई हो, तथा लंबित अथवा प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही का विवरण।

a) उपर्युक्त क्रम संख्या 01 एवं 02 के पदों के लिए पिछले पाँच वर्षों की एपीएआर (APAR) की प्रतियां, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित होना अनिवार्य है।
तथा उपर्युक्त क्रम संख्या 03 एवं 04 के पदों के लिए पिछले पाँच वर्षों की एपीएआर (APAR) की प्रतियां वांछनीय हैं। यदि पिछले पाँच वर्षों की एपीएआर उपलब्ध नहीं हैं, तो पिछले दो वर्षों की एपीएआर की प्रतियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित होना अनिवार्य है।
b) परीक्षक /सीजीएसटी निरीक्षक संवर्ग के अधिकारी भी उपर्युक्त क्रम संख्या 03 के पद हेतु पात्र हैं तथा आवेदन कर सकते हैं।
c) सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र।
d) सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र।
e) पिछले 10 वर्षों के दौरान लगाए गए दंड, यदि कोई हो, तथा लंबित अथवा प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही का विवरण।

6. आवेदन पर केवल उचित माध्यम से प्राप्त होने के पश्चात् ही विचार किया जाएगा।

7. अपूर्ण पाए गए आवेदन तथा उपर्युक्त आवश्यक दस्तावेजों/शर्तों के अभाव में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. चयन के समय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या एवं तैनाती का स्थान भिन्न हो सकता है। विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ बिना कोई कारण बताए किसी भी समय इस रिक्ति परिपत्र में संशोधन करने और/अथवा इसे वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

9. आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित निम्नलिखित पते पर अग्रेषित किया जा सकता है:-

विकास आयुक्त,
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र,
भारत सरकार,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
सीप्ज़ सेवा केंद्र भवन,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400096।

10. उपयुक्त अधिकारियों के नाम प्राप्त होने की अंतिम तिथि समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर होगी। निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Digitally signed by
Mayur R Mankar
Date: 25-11-2026
11:47:10
(मयूर आर. मानकर)
संयुक्त विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़, मुंबई